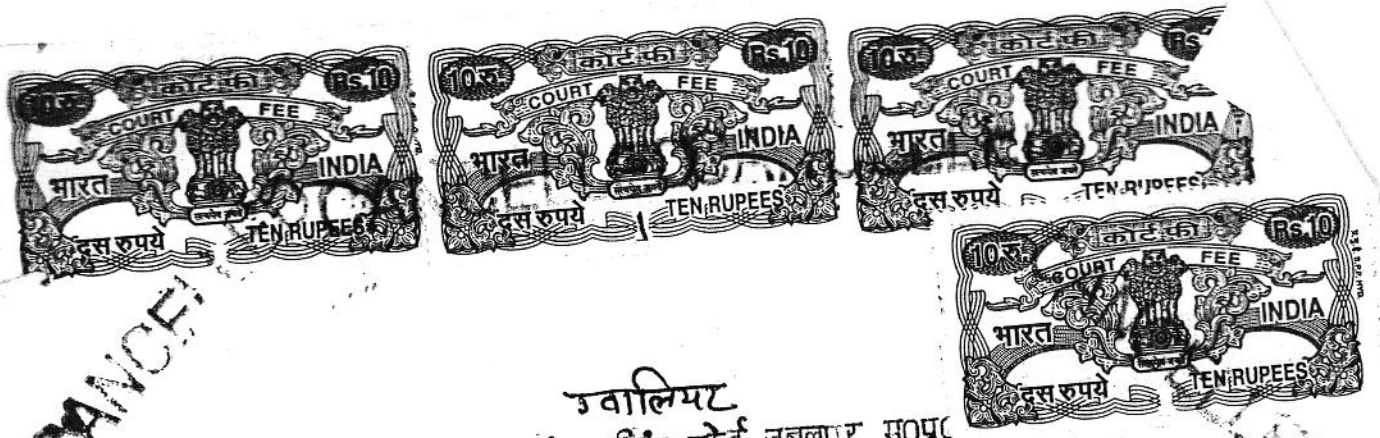

कोर्ट फी COURT FEE INDIA भारत Rs.10 10रु. दस रुपये TEN RUPEES

CANCELLED

ग्वालियर

समक्षः- श्रीमान राजस्व मंडल, लिंक कोर्ट जबलपुर म०प्र०

प्रस्तुत दिनांक-26/8/2015

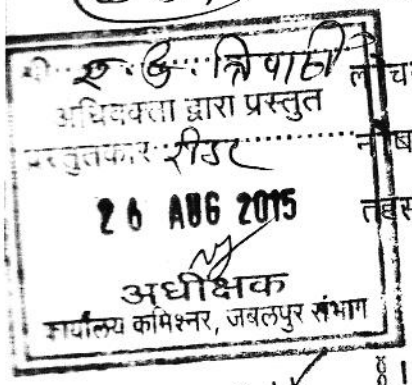

रा०पुनरीक्षण क्र. -

निग/3351/I/15

(539)

एस० के० त्रिपाठी
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रीडर
26 AUG 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

लोचनलाल [मृत] द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं मुख्त्यार खास नौबद गोल्हानी वल्द सल्लू तेली निवासी सलेमा, थाना व तहसील धनौरा जिला सिवनी म०प्र० ---------------- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

[1]- मंगूलाल वल्द सुकलू परधान

[2]- मुन्नालाल वल्द सुकलू परधान

[3]- हम्मीलाल वल्द सुकलू परधान तीनो निवासी ग्राम सलेमा, थाना तहसील धनौरा जिला सिवनी म०प्र० ---------- उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण [निगरानी] अंतर्गत धारा-50 म०प्र०भू०रा०संहिता

श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक-589/बी-121/08-09 में दिनांक 23/6/15 के अपीलार्थी/पुनरीक्षणकर्ता की अपील को खारिज करने से व्यथित होकर निम्न तथ्यों एवं आधार पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है।

//पुनरीक्षण के तथ्य//

[1]- यह कि पुनरीक्षणकर्ता के आजा स्व० लोचन तेली ग्राम सलेमा प०ह० न०-92/34 रा०नि०म० एवं तहसील धनौरा स्थित भूमि ख०न०-84/2, 84/3, 84/4, 101, 100, 96/2, 96/1, 97, 98, 99, । कुल रकबा 4.184 हे० के स्वामी बन्दोबस्त में उक्त भूमियों का ख०न०-156 रकबा 3.01 हे० दर्ज किया गया

[2]- यह कि शासकीय घास भूमि ख०न०-84/1 रकबा 5.536 हे० एवं ख० रकबा-0.729 हे० कुल 6.265 हे० थी जिसे बंदोबस्त में ख०न०-143 रकबा- 10.68 हे० कर दिया गया। उक्त रकबा को लोचन की भूमियां काटकर बढ़

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3351–एक/15 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-12-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया गया है कि प्रकरण तथ्यात्मक बिंदुओं पर आधारित है और आवेदक ने 70 वर्ष के कब्जे के आधार पर भूमि छोड़ने का कथन किया है, उन्होंने यह मानते हुए कि शासकीय भूमि पर उसका कोई मौलिक स्वत्व व अधिकार नहीं है । उनके इस आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है । अपर आयुक्त शासकीय भूमि के पट्टे दिए जाने में हुई अनियमितता के संबंध में भी यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि उसमें कोई अनियमितता हुई है तो अपर कलेक्टर को आवंटन की प्रकिया की पूर्ण जांच करना चाहिए । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को ग्राह्य किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	